



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-22.10.2024

विषय:- थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा जिला बदर अपराधी विनोद राजभर गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, वांछित/फरार अभियुक्तों तथा जिलाबदर/एचएस अपराधियों की निगरानी/चेकिंग हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के कुशल नेतृत्व में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा जिला बदर अपराधी विनोद राजभर पुत्र स्व. कल्लू निवासी पतेरवा थाना सारनाथ वाराणसी के घर पर चेकिंग की गयी तो विनोद राजभर अपने घर पर मौजूद मिला। तत्पश्चात जिला बदर अपराधी विनोद राजभर पुत्र स्व. कल्लू निवासी पतेरवा थाना सारनाथ वाराणसी को मा.न्यायालय अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के वाद सं० 175/2024 सरकार बनाम विनोद राजभर उपरोक्त अन्तर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुंडा अधि० थाना सारनाथ वाराणसी में दिनांक 24.07.2024 को जारी आदेश का उल्लंघन करने के अपराध से अवगत कराते हुए आज दिनांक 22.10.2024 को समय 06.05 करीब पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा नियमानुसार मु०अ०सं० 486/2024 धारा 10 उ०प्र० गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विनोद राजभर पुत्र स्व. कल्लू निवासी पतेरवा थाना सारनाथ वाराणसी उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय –

पतेरवा थाना सारनाथ, दिनांक 22.10.2024, समय करीब 06.05 बजे।

आपराधिक इतिहास –

- (1)मु०अ०सं० 149/2024 धारा 323/504/506 भादवि थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
- (2)मु०अ०सं० 197/19 धारा 147/427/504/506 भादवि थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
- (3)मु०अ०सं० 385/19 धारा 308/323/504/506 भादवि व 3(1) (घ) एससी/एसटी एक्ट थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
- (4)मु०अ०सं० 388/19 धारा 323/427/452/504 भादवि थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
- (5)मु०अ०सं० 418/19 धारा 380/427 भादवि थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
- (6)मु०अ०सं० 468/ 23 धारा 323/504/506 भादवि थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
- (7)मु०अ०सं० 0508/19 धारा 401 भादवि थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।

- (8)मु0अ0सं0 561/16 धारा 379/411 भादवि थाना सारनाथ कमिश्नेट वाराणसी।
- (9)मु0अ0सं0 486/2024 धारा 10 उ0प्र0 गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम थाना सारनाथ कमिश्नेट वाराणसी।
- (10)मु0अ0सं0 447/16 धारा 392/411 भादवि थाना फूलपुर कमिश्नेट वाराणसी।
- (11)मु0अ0सं0 771/16 धारा 307/34 भादवि थाना रोहनिया कमिश्नेट वाराणसी।
- (12)मु0अ0सं0 773/16 धारा 3(25) आयुद्ध अधि0 थाना रोहनिया कमिश्नेट वाराणसी।
- (13)मु0अ0सं0 774/16 धारा 41/411/420/467/468/471 भादवि थाना रोहनिया कमिश्नेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1- प्र0नि0 परमहंस गुप्ता थाना सारनाथ कमिश्नेट वाराणसी।
- 2- उ0नि0 देवेन्द्र सिंह थाना सारनाथ कमिश्नेट वाराणसी।
- 3- हे0का0 गोरखप्रसाद थाना सारनाथ कमिश्नेट वाराणसी।
- 4- का0 कन्हैया कुमार थाना सारनाथ कमिश्नेट वाराणसी।

**सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नेट वाराणसी**

